फर्द अहकाम

न्यायालय सीताराम बनाम सरकार वगैरह

उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

संख्या 180/2023

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	21/10/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने दस्तावेज सूची पेश की तथा प्रार्थी सं० 2 लगायत 6 के तरफ से प्रा० पत्र पेश किया। जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील प्रार्थी व प्रार्थीगणों की बहस सुनी गई। तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश, हेतु दिनांक 24/10/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	
	24/10/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली आदेश, के विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस को मनन किया गया अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 एल. आर. एक्ट को स्वीकार किया जाता है तथा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद प्रति दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	

(12)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
180 / 2023	01 / 11 / 2023	24 / 10 / 2024

1. सीताराम पुत्र चौथूराम
2. कल्ली पुत्री चौथूराम
3. पांची पुत्री चौथूराम
4. मनफूली पुत्री चौथूराम
5. लाडा पुत्री चौथूराम

जातियान मीना, निवासी जौधराला, तहसील आंधी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थांन सरकार जरिये तहसीलदार आंधी, जमवारामगढ, जिला जयपुर।
2. जन्सी पुत्र भोरया उर्फ भेरया
3. गोपाल पुत्र भोरया उर्फ भेरया
4. मोती पुत्र भोरया उर्फ भेरया
5. जयनारायण भोरया उर्फ भेरया
6. लालाराम पुत्र बिरदा

जातियान मीना, निवासी जोधराला, तहसील आंधी, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभावक
श्री महेश शर्मा :– वकील प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत नक्शा तरमीम दुरूस्तीकरण

अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट

–: निर्णय :–

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम माथासूला, पटवार हल्का माथासूला तहसील आंधी जमवारामगढ जिला जयपुर में कृषि भूमि साबिक खसरा नम्बर 826 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 609 रकबा 1.3400है0 प्रार्थीगण की पैतृक स्वर्गीय ग्यारसा पुत्र सालगा के खातेदारी में स्थित अनुसार बतौर विरासत प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मालिकाना स्वामित्व में स्थित चली आ रही है तथा साबिक खसरा नम्बर 828 रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 613 रकबा 1.9200है0 मय 611 रकबा 0.0100है.0 अप्रार्थी सं0 2 लगायत 6 के खातेदारी अनुसार स्थित है। उक्त वर्णितानुसार स्थित भूमियों के संबंध में सेटलमेंट कार्यवाही के दौरान नवीन वर्तमान खसरा नम्बर 609 एवं 613 के राजस्व नक्शों को पक्षकारों के कब्जे काश्त व हक अधिकारों के विरूद्व त्रुटिपूर्ण तरमीम होने से अप्रार्थी सं0 2 ता 6 अपने बलप्रयोग व त्रुटिपूर्ण राजस्व नक्शें द्वारा प्रार्थीगण को मौके कब्जे से बेदखल करने पर आमादा है। दौराने राजस्व विभागीय चकबन्दी की कार्यवाही में साबिक खसरा नम्बर 1198 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, 1199 रकाब 3 बीघा 1 बिस्वा के खसरा नम्बर 826 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण के दादाजी खातेदार ग्यारसा पुत्र सालगा के खातेदारी अनुसार है। जिसके रकबा बरारी मुताबिक ही प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं0 2 लगायत 6 बतौर पैतृक सहखातेदार एवं मौके पर काबिज काश्तकार है। लेकिन चकबन्दी कार्यवाही के दौरान प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि के रकबा बरारी के विपरित खसरा नम्बर 826 के राजस्व नक्शें की तरमीम त्रुटिपूर्ण करते हुए प्रार्थीगण की भूमि को खसरा नम्बर 828 के नक्शें में शामिल कर सहवन से तरमीम कर दिया गया, जिसके संबंध में डोटेड लाईन द्वारा प्रार्थीगण के खातेदारी खसरा नम्बर 826 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा के रकबा बरारी अनुसार राजस्व नक्शा कायम कर दिया गया। जिसके अनुसार प्रार्थीगण बजमाना बुर्जुगान पैतृक विरासत अनुसार मौके पर काबिज काश्तकार रहते आये है। चकबन्दी व सेटलमेंट कार्यवाही में साबिक खसरा नम्बर 1198, 119 खसरा नम्बर 826 वर्तमान खसरा नम्बर 609 अनुसार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं0 2 लगायत 6 की सहखातेदारी में

उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ

ंकित है। प्रार्थी अपनी भूमि में मय अलग अलग बंटवारे चाही काश्त करते हुए उपयोग उपभोग करते आ रहे है। लेकिन दौराने चकबन्दी एवं उसके बाद हाल सेटलमेंट कार्यवाही में वर्तमान खसरा नम्बर 613 के राजस्व नक्शें में प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 609 की भूमि शामिल रखते हुए प्रार्थीगण के कब्जे व हितो के विरूद्व विवादित खसरा नम्बर 609 व 613 के राजस्व नक्शों में खातेदारी के रकबा बरारी के विपरित त्रुटिपूर्ण तरमीम कर दिया गया, जो कि दुरूस्तनीय है। नवीन खसरा नम्बर 613 के राजस्व नक्शें मे प्रार्थीगण की पैतृक खातेदारी खसरा नम्बर 609 के आधार कब्जे काश्त मालिकाना की दक्षिण भाग की भूमि को त्रुटिपूर्ण तरमीम करते हुए सेटलेंट कार्यवाही के दौरान राजस्व नक्शें की तरमीम प्रार्थीगण के पैतृक खातेदारी कब्जे काश्त मालिकाना साबिक अधिकार सहित रकबा बरारी के विरूद्व त्रुटिपूर्ण तरमीम है। जिसके कारण प्रार्थीगण के पैतृक कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 613 के राजस्व नक्शें में अवैध तरमीम व शामिल होने से मौके कब्जे से प्रार्थीगण के साबिक कब्जे काश्त व मालिकाना स्वामित्व व खातेदारी अधिकारों के विरूद्व है। जिससे अपने खातेदारी खसरा नम्बर 609 रकबा 1.34है0 के रकबा बरारी सहित राजस्व नक्शे की तरमीम कराने के प्रार्थीगण अधिकारी है। तदानुसार विवादित भूमि खसरा नम्बर 613 के राजस्व नक्शें को संलगन नजरी नक्शें अनुसार दुरूस्त कराने के प्रार्थीगण अधिकारी है। अतः वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 609 रकबा 1.3400है0 भूमि के राजस्व नक्शें को तरमीम करने का आदेश दिया जावें एवं तदानुसार वर्तमान खसरा नमबर 613 रकबा 1.9200है0 के राजस्व नक्शें मे रकबा बरारी अनुसार दक्षिण पूर्वी भाग दुरूस्त करने के आदेश दिये जावें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को तलबी की जाकर रिपोर्ट ली गई। अप्रार्थी सं0 1 (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक/आरटी/2024/40 दिनांक 29.01.24 द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी/पैरोकार सरकार ने जवाब मे निवेदन किया कि मिलान क्षेत्रफलानुसार हाल राजस्व नक्शें के खसरा नम्बर 609 के साबिक खसरा नम्बर 826 में साबिक खसरा नम्बर 1199 शामिल नही है। हाल राजसव नक्शे में खसरा नम्बर 609 की रकबा बरारी करने पर लगभग 0.54है0 रकबा प्राप्त होता है। जो राजस्व रिकार्ड दर्ज रकबा 1.34है0 से 0.80है0 कम प्राप्त होता है। वादीगण का मौके पर कब्जा साबिक नक्शें मुताबिक है। हाल राजस्व नक्शें में खसरा नम्बर 609 की तरमीम चकबन्दी नक्शे के मुताबिक नही है। साबिक खसरा नम्बर 1199 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा को खसरा नम्बर 826 हाल खसरा नम्बर 609 के बजाय खसरा नम्बर 828 हाल खसरा नम्बर 611, 612, 613 मे शामिल किया हुआ है। मुताबिक वादपत्र के हाल राजस्व नक्शें के खसरा नम्बर 609 की तरमीम मुताबिक नक्शा चकतराशि तरमीमी कब्जा के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित है। अप्रार्थी सं0 2 ता 6 ने प्रार्थना पत्र में सहमति बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

बहस वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थीगणों के प्रार्थना पत्र व पैरोकार सरकार के जबाब का अवलोकन करने पर प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 एल0 आर0 एक्ट को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार आंधी को आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम माथासूला तहसील आंधी में स्थित उक्त वादांकित भूमि खसरा नम्बर 609 रकबा 1.3400है0 को प्रार्थीगण के मौके पर कब्जे काश्त व हक अधिकार को मध्य नजर रखते हुए मुताबिक रकबा बरारी राजस्व नक्शें को तरमीम किया जावें एवं तदानुसार वर्तमान खसरा नम्बर 613 रकबा 1.9200है0 के राजस्व नक्शे मे रकबा बरारी अनुसार दक्षिण–पूर्वी भाग को दुरूस्त कर नक्शा नक्शा दुरूस्त किया जावें।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 24.10.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़
जमवारामगढ़